बिहार सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना सं0- **सी0/ई0एच0-38/2000................/जे0, पटना, दिनांक ...., 2013**

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों पर निम्नरूपेण वरीय अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है :-

I. अपर महाधिवक्ता

क्र0	नाम		वरीय अधिवक्ता/पंजीयन संख्या/ ए0ओ0आर0 संख्या
1.	श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा	–	वरीय अधिवक्ता
2.	श्री राय शिवाजी नाथ	–	वरीय अधिवक्ता
3.	श्री जवाहर प्रसाद कर्ण	–	वरीय अधिवक्ता
4.	श्री पी0के0वर्मा	–	वरीय अधिवक्ता
5.	श्री तेज बहादूर सिंह	–	वरीय अधिवक्ता
6.	श्री गौतम बोस	–	वरीय अधिवक्ता
7.	श्री एस0 रजा अहमद	–	वरीय अधिवक्ता
8.	श्री अंजनी कुमार	–	वरीय अधिवक्ता
9.	श्री अशोक कुमार केशरी	–	01/1976
10.	श्री एस0 डी0 संजय	–	D 593/1984
11.	श्री पुष्कर नारायण शाही	–	वरीय अधिवक्ता
12.	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा	–	1009/1969
13.	श्री अशोक कुमार चौधरी	–	740/1983
14.	श्री कौशल कुमार झा	–	1672/1991

II. राजकीय अधिवक्ता

क्र0	नाम		पंजीयन संख्या/ए0ओ0आर0 संख्या
1.	श्री जय शंकर वर्णवाल	–	479/1985
2.	श्री प्रसून सिन्हा	–	00073
3.	श्री श्याम किशोर शर्मा	–	248/1978
4.	श्री अनिल कुमार सिन्हा	–	1810/1991
5.	श्री विनय किर्ति सिंह	–	364/1983
6.	श्रीमती नीलू अग्रवाल	–	799/1983
7.	श्री सुभाष प्रसाद सिंह	–	1092/1981
8.	श्री पार्थ सारथी	–	1941/1995
9.	श्री अजय	–	1580/1998
10.	श्री नम्रता मिश्रा	–	533/1999
11.	श्री संदीप कुमार	–	1120/1989
12.	श्री अशोक प्रियदर्शी	–	1983
13.	श्री निवेदिता निर्विकार	–	1327/1995

III. स्थायी सलाहकार

क्र0	नाम		पंजीयन संख्या/ए0ओ0आर0 संख्या
1.	श्री सैयद अर्शद आलम	–	1978
2.	श्री नसरूल होदा खाँ	–	D 66/86 B/1986
3.	श्री अजय बिहारी सिन्हा	–	505/1979
4.	डा0 अनिल कुमार उपाध्याय	–	0445
5.	श्री प्रभात कुमार सिंह	–	01643
6.	श्री सुनील कुमार मंडल	–	909/1990
7.	श्री अरविन्द उज्ज्वल	–	160/1982
8.	श्री कुन्दन बहादुर सिंह	–	06/1980
9.	श्री अमरनाथ देव	–	01912
10.	श्री अजीत कुमार	–	00635
11.	श्री कुमार मनीष	–	1436/1998
12.	श्री अंशुल	–	855/2003
13.	श्री अरविन्द कुमार	–	09/1998
14.	श्री मनीन्द्र किशोर सिंह	–	268/1990
15.	श्री मिथिलेश कुमार पाठक	–	1624/1991
16.	श्री अरविन्द कुमार	–	61/1995
17.	श्री अब्बास हैदर	–	2726/1996
18.	श्री अशोक कुमार	–	1261/1993
19.	श्री अविनाश कुमार	–	03528
20.	श्री कुमार आलोक	–	1762/1991
21.	श्री राज नन्दन प्रसाद	–	1851/1991
22.	श्री शिव शंकर प्रसाद	–	1992
23.	डॉ0 अंशुमन	–	870/1995
24.	श्री कुमार प्रिय रंजन	–	1650/1998
25.	श्री नवल किशोर सिंह	–	01256
26.	श्री किंकर कुमार	–	01869
27.	मो0 रैसूल हक	–	402/1980
28.	श्री सत्यदेव कुमार	–	346/1985
29.	श्री राजीव रंजन कुमार पाण्डेय	–	1999
30.	श्री पांडेय संजय सहाय	–	1965/2001
31.	श्री अजीत प्रताप सिंह	–	3937/1995
32.	श्री मधुकर कृष्ण सिन्हा	–	995/1968

IV. सरकारी वकील

क्र0	नाम		पंजीयन संख्या/ए0ओ0आर0 संख्या
1.	श्री राजीव कुमार सिंह	–	D/372/97
2.	श्री राजीव राय	–	00691
3.	श्री उमा शंकर	–	378/1991
4.	श्री प्रशांत प्रताप	–	1599/2002

क्र0	नाम		पंजीयन संख्या / ए0ओ0आर0 संख्या
5.	श्री धूरजटी कुमार प्रसाद	—	3474 / 1995
6.	श्री दीन बन्धु सिंह	—	1085 / 1983
7.	श्रीमती कुमारी अमृता	—	1732 / 1995
8.	श्री अवनीश नंदन सिन्हा	—	2142 / 1998
9.	श्री मधुरेश प्रसाद	—	3406 / 1997
10.	श्री मनोज कुमार अम्बष्ठा	—	108 / 1995
11.	श्री राजेश सिंह	—	1329 / 1996
12.	श्री मणिकान्त मिश्रा	—	1385 / 1990
13.	श्री निर्भय कुमार सिंह	—	1171 / 1987
14.	श्री मनीष कुमार	—	02423
15.	श्री उदय शंकर शरण सिंह	—	00369
16.	श्री संजय पांडेय	—	793 / 1995
17.	श्रीमती विनीता सिंह	—	3210 / 1999
18.	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा	—	D / 990 / 1995
19.	श्री अंशुमन सिंह	—	3560 / 1997
20.	श्री शरत कुमार सिन्हा	—	1249 / 1993
21.	श्री पुर्णेन्दु सिंह	—	350 / 1998
22.	श्री नदीम सेराज	—	14 / 1995
23.	श्री आनंद कुमार ओझा	—	2455 / 1994
24	श्री नसीम याहिया	—	937 / 1993
25	श्री संतोष कुमार झा	—	760 / 1988
26	श्री सत्यव्रत वर्मा	—	827 / 1998
27	श्री विवेक प्रसाद	—	D / 405 / 1994
28	श्रीमती गीता कुमारी	—	667 / 1998
29.	श्री अनिल कुमार	—	1083 / 1995
30	श्री राजू गिरी	—	2023 / 1998
31	श्री हरिश कुमार	—	2508 / 2001
32	श्री बिनोद जी वर्मा	—	1993

2. उक्त पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व में गठित विधि पदाधिकारियों का पैनल स्वत: समाप्त समझा जायेगा । परन्तु महाधिवक्ता, प्रधान अपर महाधिवक्ता एवं विधि पदाधिकारी (निगरानी) के रूप में पूर्व से नियुक्त पदाधिकारी यथावत रहेंगे।

3. यह नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए होगी तथा इन पदों पर नियुक्ति के फलस्परूप विधि पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण की तिथि से आदेश प्रभावी होगा ।

4. उपरोक्त विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति भार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी । विधि पदाधिकारियों की कार्यो की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्तर पर होगी और इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को प्रत्येक माह भेजा जायेगा जिसके आधार पर विधि पदाधिकारियों के कार्यो का विश्लेषण राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (SLEC) जिसमें महाधिवक्ता तथा प्रधान अपर महाधिवक्ता विशेष आमंत्रित व्यक्ति रूप में नियुक्त रहेंगे, के द्वारा की जायगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जायेगा तो उनहें विधि पदाधिकारी के पद से हटा दिया जायेगा।

5 सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यो की विवरणी जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस जिसमें विशेष रूप से सरकार के पक्ष में पारित आदेश और सरकार के विरूद्ध पारित आदेश का उल्लेख करते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता को प्रत्येक सप्ताह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे की कितने मामलें में प्रति शपथ पत्र दाखिल हुआ है और कितनें में नहीं हुआ।

6 विधि पदाधिकारी ज्यादातर मामलों में, जहाँ सुनवाई का मामला चल रहा हो या Stay का मामला चल रहा हो, वहाँ स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

7 सभी विधि पदाधिकारी सरकार के विरूद्ध आदेश होने पर या कोई अंतरिम आदेश होने पर प्रधान अपर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ की इसमें अपील की जा सकती है या नहीं शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।

8 विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ भी सरकार का कोई हित निहित है, ऐसे मामलें में सरकार के विपक्ष में काम नहीं करेंगे चाहे वह मामला उनकी नियुक्ति की पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामलें दृष्टांत में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी और उनहें पदच्युत भी किया जा सकता है।

9 पूर्व के आदेश को विलोपित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि महाधिवक्ता या प्रधान अपर महाधिवक्ता आठ-आठ सहायक अधिवक्ताओं की सेवा ले सकते है तथा अपर महाधिवक्ता को छह सहायक अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता को पाँच सहायक अधिवक्ता एवं सरकारी वकील तथा स्थायी सलाहकार को चार-चार सहायक अधिवक्ताओं की सेवा अनुमान्य होंगी। परन्तु सहायक अधिवक्ता को विधि व्यवसाय का तीन साल का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस संबंध में पूर्व के सारे आदेश शिथिल समझा जायेगा।

10 सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की नियुक्ति की दो माह के भीतर सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति की अनुशंसा महाधिवक्ता के माध्यम से बायोडाटा सहित विधि विभाग को अवश्य भेज दें, उसके बाद की अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता/प्रधान अपर महाधिवक्ता के द्वारा सूचित करना होगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता के नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। इस संबंध में पूर्व के निर्देश शिथिल समझे जायेंगे।

11 विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी विभागीय आदेश का क्रमांक विधि पदाधिकारी के Numbering के लिए नहीं होगा बल्कि सभी विधि पदाधिकारियों का Numbering प्रधान अपर महाधिवक्ता द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि पूर्व के विधि पदाधिकारियों का Numbering यथावत् रहें और नई नियुक्ति के विधि पदाधिकारियों का Numbering उनकी वरीयता के अनुसार हो। साथ ही अगर किसी भी पक्ष के लिए अगर Designated Senior Advocate का चयन किया गया है तो उनकी पारस्परिक वरीयता को ध्यान में रखा जायेगा तथा उन्हें अन्य अधिवक्ताओं से Numbering में उपर रखा जायेगा।

12 पटना उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के पदों की वृद्धि संबंधी राज्यादेश विधि विभागीय पत्र सं0-8545 दिनांक-03.12.2013 द्वारा जारी किया जा चुका है।

13 पटना उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त उक्त विधि प्रदाधिकारियों को निर्धारित दर पर अनुमान्य प्रतिधारण/दैनिक/एडमिशन/सुनवाई शुल्क देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-....................../जे0, पटना, दिनांक-..................

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) के साथ सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 गजट की प्रतियां इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-....................../जे0, पटना, दिनांक-..................

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-...8546...../जे0, पटना, दिनांक-3.12.2013

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/प्रधान अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार/विकास आयुक्त, पटना/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी संबंधित विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री (विधि) के आप्त सचिव एवं सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार